(ii) Material and equipment worth Rs. 3-62 lakhs received under Indo-American Technical Assistance Programme has also been given to the Maritime State Governments in 1956-57.

(iii) Fishery equipment worth Rs. 6:00 lakhs has been allotted to the Kerala State under Indo-Norwegian Assistance Programme for 1956-57.

(b) (i) The Government of India continued to provide facilities to fishermen for supply of ice and provision of space for storage of chilled and frozen fish in their Deep Sea Fishing Station, Bombay.

(ii) Under Indo-American Technical Assistance Programme, 13 ice and cold storage plants with total capacity of 82 tons of ice and 300 tons of storage, at a cost of Rs. 18-37 lakhs were also allotted to the Maritime States. Six Refrigeration Cabinets (3 tons capacity each) have also been allotted to the States in 1956-57 under T.C.M. Programme.

Under the same Programme, 11 insulated vans for transport of fish at a cost of Rs. 1:96 lakhs have been allotted to the Maritime States..

मत्स्योद्योग से उप-उत्पत्तियां

२०६. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्योद्योग से जो उप-उत्पत्तियां प्राप्त होती हैं, वे किस किस प्रकार की होती हैं और क्या ऐसी उप-उत्पत्तियों को काम में लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; यदि है, तो वह योजना क्या है और उसके कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

t [FISHERY BY-PRODUCTS

206. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the kinds of by-products which are obtained in fisheries and whether Government have any scheme in view to utilize such by-products? If so, what is that scheme and by what time is it likely to be implemented?]

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मत्स्योद्योग से प्राप्त होने वाली उप-उत्पत्तियों की प्रसिद्ध किस्में ये हैं :— मछली भोज्य (Fish meal), मछली अंडे (Fish roe), मछली खाद (Fish manure), मछली से बनी हुई खाद (Fish guano), मछली तेल (Fish oil), शार्क लिवर आइल (Shark liver oil), शार्क मछली का पर (Shark fins), मछली का सरेस (Isinglass), खोल मछली का ग्रिट (Shell grit) और सी-वीड-उत्पादें (Sea-weed products) ।

मछली को ताजी ठंडी और बर्फीली हालतों में भंडार करने और मछली का प्रोसेसिंग (Processing) और उपयोगिता, तथा अन्य सामुद्रिक उत्पाद और पणन व निरीक्षण के लिये जिन्स मानक और ग्रेडों की स्थापना करने के लिये, भारत सरकार के पास एक फिशरीज टैक्नोलोजिकल स्टेशन की स्थापना के लिये एक योजना है। इस योजना को इस वर्ष आरम्भ करने का विचार है। यह एक अनुसन्धान योजना है जो उप-उत्पत्तियों की ठीक उपयोगिता में उद्योग की मदद करती है ।

t[THE MINISTER OP FOOD AN» AGRICULTURE (SHRI A. P. JAIN): The important kinds of fishery byproducts obtained are Fish meal, Fish roe, Fish manure, Fish guano, Fish oil, Shark liver oil, Shark fins, Isinglass, Shell grit and Sea-weed products.

The Government of India have a scheme for the establishment of a Fisheries Technological Station to undertake investigations on problems connected with storage of fish, in fresh, chilled and frozen condition, processing and utilisation of fish and other marine products and for establishing commodity standards and grades for marketing and inspection.

†[ ] English translation.

etc. It is proposed to start the scheme this year. This is a research scheme to assist the industry in proper utilisation of the by-products.l

अण्डमान में वनों का विकास

२०७. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान में वनों के विकास के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही हैं; और

(ख) क्या वहां के वनों को काटने की कोई योजना है और यदि है, तो कितने वन (१) काटे जायेंगे और (२) कितने संरक्षित रखे जाएंगे तथा विकसित किये जायेंगे ?

t [DEVELOPMENT OF FORESTS IN ANDAMANS

207. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what efforts are being made by Government for the development of forests in the Andamans; and

(b) whether there is any scheme for clearing the forests and if so, what is the extent of the forests which will be (i) cleared and (ii) preserved and developed?]

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) सरकार ने अण्डमान में वनों के विकास के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये हैं :—

(१) अण्डमान वनों के निरीक्षण के पश्चात् उत्तरीय, दक्षिणी, और मध्य अण्डमानों के लिये कार्य रूपी योजनायें तैयार की गईं।

(२) दक्षिण और मध्य अण्डमानों के वनों में विभागीय कार्य का संगठन कर दिया गया है।

(३) अण्डमान के उत्तरीय वनों को, जिनका क्षेत्र ७०७ वर्ग मील है, ३१–८–५१ से २५ वर्ष के लिए रायल्टी के आधार पर एक पराईवेट पार्टी को लीज पर दे दिया है और इस विस्तृत इमारती लकड़ी के भंडार में सबसे पहले वन कार्य जारी है।

(४) एक नई बन्ड सौ-मील (Band Saw-mill) लगवा दी गई है।

(५) इस वर्ष के शुरू में, १९५७–५८ में एक लाख बी० जी० स्लीपरों की सप्लाई के लिये अण्डमान्स वन विभाग ने भारतीय, रेलों का आर्डर स्वीकार कर लिया है।

(६) पहली पंचवर्षीय योजना में दो प्रसिद्ध योजना रखी गई—दी कोलोनाईजेशन (The Colonization) योजना और सड़क योजना।

(७) दूसरी पंचवर्षीय योजना में, अण्डमानस में वनों के विकास के लिये १२ योजनायें हैं जिनमें वन के सभी आवश्यक पहलू और इमारती लकड़ी का उत्पादन शामिल है।

(ख) वर्किंग प्लान (working plan) के अधीन, वन का क्षेत्रफल २००० वर्ग मील से अधिक है। बस्ती बसाने के लिये २०,००० एकड़ भूमि या लगभग ३० वर्ग मील के वन साफ कर दिये जायेंगे। यह २०,००० एकड़ का क्षेत्र पुनर्वास तथा खेती के लिये उपयुक्त समझा गया है। वर्किंग प्लान (working plan) के अनुसार बाकी वन सुरक्षित समुपयोजित और विकास के लिए रखे जायेंगे।

t[THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. P. JAIN): (a) The following efforts have beep made by Government for the deve lopment of forests in the Andamans.

(i) Working Plans for North, South and Middle Andamans were prepared after surveying the forests in tne Andamans.

(ii) Departmental working has been organised in the forests

†[ ] English translation.